(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस विवाद के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने हेतु प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य केन नदी पर निर्मित बरियारपुर वीयर का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों की सिंचाई के लिए वीयर के दक्षिणी तट पर एक नहर विद्यमान है। चूंकि नहर प्रणाली अपेक्षित अभिकल्प निस्सरण को ले जाने में समर्थ नहीं थी, इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्य मंत्रियों की 1977 में हुई एक अन्तर्राज्यिक बैठक में यह सहमति हुई थी कि उत्तर प्रदेश की केन नहर प्रणाली और इसके शीर्ष-निर्माण-कार्यों (मुख्य नियामक) का पुनर्रूपण किया जाएगा ताकि वह 2,500 क्यूसेक के निस्सरण का वहन कर सके। तथापि, उत्तर प्रदेश ने बाद में 3,700 क्यूसेक के जल निस्सरण का वहन करने के लिए मुख्य नियामक का पुनर्रूपण करने का प्रस्ताव किया था और इस कारण से दोनों राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। दक्षिण तट नहर, उत्तर प्रदेश में प्रविष्ट होने से पूर्व अपने आरम्भिक भाग में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होकर बहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शिकायत भी की थी कि मध्य प्रदेश ने उनके क्षेत्र में नहर के पुनर्रूपण के कार्य को रोक दिया है। इन मामलों को हल करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सिंचाई सचिव द्वारा दिसम्बर, 1981 में दोनों राज्यों की सरकारी स्तर की एक बैठक आयोजित की गई थी और दोनों राज्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि मुख्य नियामक की क्षमता को 2,500 क्यूसेक तक सीमित रखा जाना चाहिए। इस करार को कार्यान्वित करने के लिए और आगे पद्धतियों के बारे में दोनों राज्यों के बीच आपस में विचार-विमर्श किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग भी इस मामले में तेजी लाने के लिए दोनों राज्यों से अनुरोध करता रहा है ताकि प्रस्तावित पुनर्रूपण शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

**Memorandum on Irregularities of FCI, in West Zone**

4512. SHRI GEOROE FERNANDES :
SHRI SYED MASUDAL HOSSAIN :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether he has received copy of a memorandum on irregularities by the Administration of Food Corporation of India in the West Zone;

(b) if so, what are the main charges against the Administration; and

(c) what action has been taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) The memorandum contained allegations against officers pertaining to entertainment expenses incurred, use of staff cars, manipulation of entries in log books, improper transfer of officers, misappropriation of FCI stocks, etc.

(c) The Corporation has looked into the allegations and found them to be baseless.